जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 केस सं0–07 / 2019–20(तड़ीपार)

राज्य –बनाम– जाफर अली

तिथि	आदेश	अभियुक्ति

वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांकः–1154 / डी0सी0बी0, दिनांकः–10.10.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अपराधकर्मी जाफर अली, पे0–अकबर अली, पता–सिनेमा मैदान, गुदड़ी बाजार, म0नं0–961, थाना–सोनारी, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत)की धारा–3(ए)(बी)(I)(II) के साथ पढ़ने पर} के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी के विरूद्ध यह वाद झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(3)(a) के तहत् प्रारंभ की गई थी एवं सुनवाई के उपरांत दिनांकः–24.03.2021 को पारित आदेश द्वारा संबंधित अपराधकर्मी को दिनांकः–01.04.2021 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–30.09.2021 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित किया गया था।

पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने पत्रांकः–1173 / डी0सी0बी0, दिनांकः–21.09.2021 द्वारा संबंधित अपराधकर्मी के विरूद्ध जिला निष्कासन (तड़ीपार) की अवधि को इस आधार पर विस्तारित करने का अनुरोध किया है कि अपराधकर्मी जाफर अली, पे0 अकबर अली एक पेशेवर एवं शातीर कुख्यात अपराधकर्मी है, जिसके अपराधिक गतिविधि के कारण यहाँ की लोक–व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। इसने इसके थाना क्षेत्र में अपने नाम का आतंक फैला रखा है। इन दिनों इसका आंतक पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। जेल में रहते हुए भी ये अपना आतंक पूरे सोनारी क्षेत्र एवं आस पास के थाना क्षेत्र में कायम करने में सफल रहे हैं। ये जेल में रहते हुए भी अपने विरोधी गुट तथा अन्य व्यापारियोंको शीघ्र जेल से छुटने के बाद सोनारी आकर नही छोड़ने की धमकी देने तथा केस में समझौता नही करने पर गुप्त रूप से धमकी देना है। इसके भय से,बाजार एवं व्यापारी वर्ग में भय का माहौल बन रहा है तथा आम लोगों में काफी दहशत है।

इस अपराधकर्मी पर निम्नांकित काण्ड दर्ज है– कुख्यात अपराधकर्मी जाफर अली, पे0–अकबर अली, पता–सिनेमा मैदान, गुदड़ी बाजार, म0नं0–961, थाना–सोनारी, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के विरूद्ध निम्नलिखित कांड / सनहा दर्ज हैं।

1. सोनारी थाना कांड सं0–200 / 17, दिनांक–21.12.201, धारा–147 / 148 / 149 / 323 / 324 / 307 भा0द0वि0
2. सोनारी थाना कांड संख्या–17 / 18 दि0–08.02.2018 धारा–147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 307 / 337 / 338 भा0द0वि0
3. सोनारी थाना कांड संख्या–213 / 18, दिनांक–25.09.2018, धारा–144 / 427 भा0द0वि0
4. सोनारी थाना कांड संख्या–06 / 19, दिनांक–07.01.2019, धारा–364 / 307 / 323 / 34 / 120बी0 भा0द0वि0 एवं सनहा दर्ज है।

उल्लेखनीय है कि पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों में कुख्यात अपराधकर्मी जाफर अली अपने नाम का आतंक फैला रखा है। इन दिनों इनका आंतक पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। जेल में रहते हुये भी ये अपना आंतक पूरे सोनारी क्षेत्र एवं आस–पास के थाना क्षेत्र में कायम करने में सफल रहे है। ये जेल में रहते हुए भी अपने विरोधी गुट तथा अन्य व्यापारियों को शीघ्र जेल से छुटने के बाद सोनारी आकर नहीं छोड़ने

की धमकी देने तथा केस में समझौता नहीं करने पर गुप्त रूप से धमकी दे रहे है। जिससे बाजार एवं व्यापारी वर्ग में भय का माहौल बन रहा है तथा आम लोगों में काफी दहशत है। इनके आतंक को रोकने के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता का मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा, जो कि शहर में लोकशांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–5 के तहत कुख्यात जाफर अली, पे0–अकबर अली, पता–सिनेमा मैदान, गुदड़ी बाजार, म0नं0–961, थाना–सोनारी, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के तड़ीपार (जिला निष्कासन) की अवधि अगले छः महिना तक अर्थात दिनांक–**01.10.2021 से 31.03.2022** तक के लिए विस्तारित की जाती है।

झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा–7 (1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0–25,000.00 का बंधपत्र (with two surety) दिनांक– 08.10. 2021 को दाखिल करेंगे कि वे दिनांक–01.10.2021 से अगले छः महिना अर्थात दिनांक–31. 03.2022 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी जाफर अली झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

विपक्षी जाफर अली, पे0–अकबर अली, पता–सिनेमा मैदान, गुदड़ी बाजार, म0नं0–961, थाना–सोनारी, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बंधपत्र भरने की तिथि को पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश की प्रति जाफर अली, पे0–अकबर अली, पता–सिनेमा मैदान, गुदड़ी बाजार, म0नं0–961, थाना–सोनारी, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय। साथ ही इस आदेश की प्रति आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ भेजा जाय।

(लेखापित)

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक–1816 (3)/विधि, दिनांक–29-09/2021

प्रतिलिपि–जाफर अली, पे0–अकबर अली, पता–सिनेमा मैदान, गुदड़ी बाजार, म0नं0–961, थाना–सोनारी, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को एतद् संबंधी सूचना से अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि–आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2023.01.24 18:52:56 +05:30
Location: 192.168.1.21

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।